प्रेषक,   संख्या– 3381 /XXIV(7)/2015-51(3)/10T.C.II

राधिका झा,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

उच्च शिक्षा अनुभाग–7

देहरादून दिनांक : 28 फरवरी, 2015

विषय–एन0सी0टी0ई0 विनियम, 2014 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 371/XXIV(7)/51(3)/2010 दिनांक 07 अप्रैल, 2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें एन0सी0टी0ई0 के मापदण्ड, दिशा निर्देश विनियम, 2009 में विहित व्यवस्थानुसार प्रदेश में बी0एड0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं तथा शासनादेश संख्या 185/XXIV(7)/2008 दिनांक 25 जुलाई, 2008 में स्ववित्त पोषित आधार पर बी0एड0 पाठ्यक्रम के संचालन की व्यवस्था दी गई।

2– एन0सी0टी0ई0 द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में नवीन मानदण्ड निर्धारित कर विनियम, 2014 लागू किया गया है, जिस हेतु प्रत्येक बी0एड0 पाठ्यक्रम संचालित संस्थानों द्वारा एन0सी0टी0ई0 विनियम, 2014 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर सूचना एन0सी0टी0ई0 को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जानी है।

3– उक्त सन्दर्भ में निदेशालय के प्रस्ताव संख्या सी0ओ0/1842/डब्लू0पी0–64/2015 दिनांक 13 फरवरी, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के राज्य वित्त पोषित एवं स्ववित्त पोषित आधार पर संचालित समस्त राजकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में आगामी शिक्षा सत्र से बी0एड0 पाठ्यक्रम की 50 सीटों की एक यूनिट के आधार पर एन0सी0टी0ई0 विनियम, 2014 के क्रम में कार्यवाही सम्पादित की जाय।

भवदीया,

(राधिका झा)
प्रभारी सचिव।

पृ0सं0: डिग्री प्लान/16517–31/ /2014-15, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: प्राचार्य, राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय, एम0बी0 हल्द्वानी, रामनगर, रुद्रपुर, काशीपुर, खटीमा, लोहाघाट, बेरीनाग, बागेश्वर, रानीखेत, गोपेश्वर, उत्तरकाशी, डाकपत्थर, कोटद्वार, नैनीडाण्डा, जयहरीखाल, अगस्त्यमुनि, वेदीखाल, पिथौरागढ़ को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश में वर्णित व्यवस्थानुसार अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 जगदीश प्रसाद)